उपायुक्त, गुरूग्राम। पेषक,

M/s Barmalt (India) Pvt. Ltd., सेवा में, Jharsa Road, Sector-31, Gurugram.

> 120 /एम0बीo

19/09/2024 दिनांक

विषय:-

Request for Verification regarding applicability of Aravali notification 1992 for Setting up of a Group Housing Project over an area measuring 13.275 Acres vide License No. 116 of 2011 dated 23.12.2011 at in the revenue estate of Village Jharsa, Sector-31 & 32A, Gurugram, Haryana, being developed by M/s Barmalt India Pvt. Ltd.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:--

तहसीलदार, वजीराबाद ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 891/रीडर दिनांक 06.08.2024 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार खुसरा नम्बरान/कीला नम्बर मौजा झाड़सा तहसील वजीराबाद के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त मांगी गई रिपोर्ट की बिन्दुवार तफसील निम्न

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नम्बरान दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार प्रकार है:-

- अरावली क्षेत्र में होने का इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज नहीं है। 2. नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके बाद अराजी पर किरम गैर मु0 पहाड़, गैर मुमकिन
- राडा, गैर0मु0 बीहड़ बंजड बीहड या रून्द्र का इन्द्राज जमाबन्दी में दर्ज नहीं हैं। नोटिफिकेशन 07.05.1992 से पूर्व अराजी कीला नम्बरान 37 / / 20, 21 38 / / 14,
- 16, 17/1, 17/2, 18, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/2 की किस्म गैर मु0 व 38 / / 7, 8 / 1, 8 / 2, 9, 12 / 2, 13 की किस्म चाही दर्ज है तथा हाल किस्म सभी कीला नम्बरान की गैर मुमकिन दर्ज है।

4. प्रार्थना पत्र में वर्णित कोला नम्बरान पर मिसल हकीयत ता हाल कभी भी शामलात देह – पंचायत देह – नगर पालिका – नगर निगम की मलकीयत नहीं रही है।

- 5. प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नम्बरान पर किसी भी न्यायालय में केस का इन्द्राज जमाबन्दी के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
- 6. प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नम्बरान का NCZ SEZ में होने का इन्द्राज जमाबन्दी के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
- 7. प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नम्बरान पर धारा 4–6 व अवार्ड में होने का इन्द्राज जमाबन्दी के खाना कैफियत में दर्ज नहीं है।
- प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नम्बरान 37 / / 21(7–12), 38 / / 25 / 2(2–0) कीता 2 रकबा 9 कनाल 12 मरला की मलकियत बरूवे फर्द बदर नं0 26 बाबत वर्ष जमाबन्दी 2021–2022 के श्रीमती आदेश सिंघल – आशा गुप्ता पुत्रीयान पूर्णचन्द समभाग की मलकियत दर्ज है व कीला नम्बर 37 / / 20(7-12), 38 / / 7(8-0), 8 / 1(4-0), $8 \neq 2(4-0), 9(8-0), 12 \neq 2(3-0), 13(8-0), 14(8-0), 16(8-0), 17 \neq 1(5-4),$ 17/2(2-16), 18(8-0), 23/1(1-8), 23/2(6-12), 24/1(2-16), 24/2(5-4), 25 / 1(6—0) कुल रकबा 96 कनाल 12 मरला की मलकियत बरूवे जमाबन्दी वर्ष 2021–2022 के अनुसार बारमाल्ट इण्डिया प्रा0 लि0 के नाम दर्ज है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1286-G दिनांक 12.09.2024 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 30.07.2024

(M/s Barmalt India Pvt. Ltd) को गांव भ्राड़सा, जिला गुरूग्राम के 13.275 एकड़ क्षेत्र की फॉरेस्ट क्लेरिफिकेशन ऑनलाईन जारी की जा चुकी है। जिसकी छाया प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि Applicant Mr. Aman Sharma, M/s Barmalt (India) Pvt. Ltd., having Rectangle No./Murba No./Killa No. 37//20(7-12) 38//7(8-0), 8/1(4-0), 8/2(4-0), 9(8-0), 12/2(3-0), 13(8-0), 14(8-0), 16(8-0), 17/1(5-4), 17/2(2-16), 18(8-0), 23/1(1-8), 23/2(6-12), 24/1(2-16), 24/2(5-4), 25/1(6-0), 37//21(7-12), 38//25/2(2-0) Total 106-4 Or 13.275 Acres; Land Measurements 13.275 (Acre) Land Location Village Jharsa, District Gurugram made a proposal to use this land for Building Construction. It is made clear that:-

- a) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- b) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- c) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/ regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. M/s Barmalt (India) Pvt. Ltd. whose land is located at Village/City Jharsa, District Gurugram must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- d) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- e) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- f) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- g) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- h) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- i) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Conditions

Mentioned Above.

अतः तहसीलदार, वजीराबाद व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम की रिपोर्ट में वर्णित शर्तो अनुसार आपको Village Jharsa, Sector-31 & 32A, Gurugram, Haryana की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर भी जारी की जाती है कि प्रार्थी / कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी / कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृतेः उपायुक्त, गुरूग्राम।